



कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर  
48 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011  
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX,  
48, ADMINISTRATIVE AREA, ATERA HILLS, HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL-462011

C.No. II(03)20/CCU/BZ/2015/ 9278

Bhopal, Dated 04-11-2015

**स्थापना आदेश Establishment Order No.45/2015**

विषय- स्था. भोपाल अंचल के सम्मिलित संवर्ग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग में  
नियुक्ति- संबंधित ।

Sub:- Estt.- Appointment in the cadre of Inspector of Central Excise in the common  
cadre of Bhopal Zone-reg.

-----X-----

श्री निशान्त राणा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग-ख (अराजपत्रित), के निरीक्षक के रूप में, अस्थायी और अगले आदेशों तक, रु. 9300-34800 के वेतनमान में, पे-बैंड-2 के अंतर्गत रु. 4600 के ग्रेड-पे और निरीक्षक संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ, नियुक्त किया जाता है । यह नियुक्ति व्यक्ति विशेष के कार्य गृहण करने की तिथि से प्रभावित होगी ।

Shri Nishant Rana, nominated by the Staff Selection Commission, is hereby appointed as Inspector of Central Excise Group-B (Non-Gazetted), temporarily and until further orders, in the pay scale of Rs. 9300-34800, under PB 2 with Grade Pay of Rs. 4600 and such dearness and other allowances as admissible to the Cadre of Inspector from time to time. The appointment shall take effect from the date on which the individual is taken to duty.

2. यह नियुक्ति अस्थायी है और जाति/समुदाय प्रमाण पत्र, चरित्र व पूर्ववृत्त एवं उम्मीदवार द्वारा दिए गए उम्र और योग्यता के प्रमाण पत्रों की उचित माध्यम से जांच पर आधारित है । यदि जांच में पाया जाता है कि उम्मीदवार का अ.जा./अ.ज.जा. से होने का दावा गलत है या कोई प्रतिकूल अभियुक्ति मिलती है तो उसकी सेवा बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है और भारतीय दंड संहिता, 1860, संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अन्य कार्यवाही की जा सकती है ।

The appointment is provisional and is subject to verification of Caste/Community certificate, character and antecedents and also certificates submitted by the candidate regarding age and eligibility, through proper channels. If the verification reveals that the claim of candidate that he belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe is false or any adverse remark/s received, his services will be liable to termination forthwith without assigning any reasons and without

prejudice to such other action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, as amended, for production of false certificates.

3. उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी या इस संबंध में निर्धारित फॉर्म में सत्य निष्ठा अभिपुष्टि देना होगी ।

He will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India or make a solemn affirmation to that effect in prescribed form.

4. उसे भारत सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित और जिस आयुक्तालय में उसकी नियुक्ति हुई है उसमें प्रचलित आधार-व्यवहार व अनुशासन के नियम-कायदों का पालन करना होगा ।

He will have to confirm to the rules and norms of discipline and conduct prevailing in the Commissionerate where he is posted and also those imposed by the Government of India on its employees.

5. यदि वह पहले से ही कार्यरत है तो उसे अपने मूल विभाग से यथाविधि कार्यमुक्त होना होगा और कार्यभार ग्रहण करते समय इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

If he is already employed, he has to obtain proper relief from his parent department and produce evidence to that effect at the time of joining.

6. ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय उसे यह भी बताना चाहिए कि क्या वह पहले ही रोजगार के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन कर/उपस्थित हो चुका है ।

He should also intimate, at the time of reporting for duty, if he has already applied/ appeared in any other competitive examination for employment.

7. संबंधित आयुक्त को पूर्ण अधिकार है कि वह दूसरे शासकीय कार्यालयों या कहीं और नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को प्रेषित करे या रोक दे ।

The Commissioner concerned has full discretion to forward or withhold his application for appointment in other Government offices or elsewhere.

8. उसे निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए ।

He should pass the Departmental Examination within the prescribed period.

9. उसे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों तक परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा । निरीक्षक के संवर्ग में उसका अवरोधन/नियमितीकरण परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने व विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर होगा ।

He will be kept on probation for a period of two years from the date on which he is taken to duty. His retention/confirmation in the cadre of Inspector will depend upon his successful completion of the probation period and also on passing the departmental examination.

10. उसे नये पुनर्गठित परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (न्यू पेंशन स्कीम) जैसा वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, ई सी बी और पी आर मण्डल की फाइल सं. 5/7/2003- ECB&PR, दिनांक 22.12.2003, में वर्णित है, के अंतर्गत रखा जाएगा ।

He will be considered under the new restructured defined contribution Pension System (New Pension Scheme) as notified vide F.No. 5/7/2003 ECB&PR, dated 22.12.2003 of ECB&PR Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

11. पद ग्रहण करने के लिए उसे कोई यात्रा भत्ता अदा नहीं किया जाएगा । विभागीय उम्मीदवारों के मामले में लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

No T.A. will be paid to him for joining the post. In respect of departmental candidates, their cases will be considered as per the rules in force.

12. भोपाल अंचल के निरीक्षक के सम्मिलित संवर्ग में उसकी परस्पर वरिष्ठता लागू नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी ।

His inter-se seniority in the common cadre of Inspector of Bhopal Zone will be fixed as per the rules/guidelines in force.

13. उसे अपने धर्म परिवर्तन के विषय में तुरंत ही नियुक्ति अधिकारी को सूचित करना चाहिए ।  
He should intimate the appointing authority as and when he changes his religious faith.

14. निरीक्षक के सम्मिलित संवर्ग में उसका स्थानांतरण भोपाल अंचल में कहीं भी किया जा सकता है । पदोन्नति होने पर, उसको भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है ।

He is liable to be transferred anywhere in the common cadre of Inspector in Bhopal Zone. On promotion, he is liable to be transferred anywhere in India.

15. उसे जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रोफॉर्मा में जमा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि पहले निर्धारित प्रोफॉर्मा में जमा नहीं कराया गया है ।

He is directed to submit the Caste Certificate in prescribed proforma, if not submitted earlier in the required proforma.

16. यदि उम्मीदवार दावारा की गई कोई घोषणा या प्रस्तुत की गई सूचना गलत साबित होती है या यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानबूझ कर कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है तो उसको सेवा से हटाया जा सकता है और अन्य दूसरी कार्यवाही, जो आवश्यक हो, भी की जा सकती है ।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false, or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, he will be liable to be removed from service and also to such other action, as deemed necessary.

17. यदि पुलिस सत्यापन में कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी सेवाएं बिना कारण बताए समाप्त की जाएंगी ।

In case anything adverse is found in police verification, his services will be terminated without assigning any reason or notice by the department.

18. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री निशान्त राणा को भोपाल आयुक्तालय में पदस्थ किया जाता है ।

Consequent to his appointment to the post of Inspector of the Central Excise, Shri Nishant Rana is allotted to Bhopal Commissionerate.

19. यदि इस नियुक्ति आदेश के उपरोक्त नियम व शर्तें श्री निशान्त राणा को स्वीकार्य हैं तो उनको अपर आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवाकर, 48 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल, के समक्ष 30.11.2015 (पूर्वाहन) तक सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

If the above terms & conditions of this appointment Order are acceptable to Shri Nishant Rana , he is directed to report before the Additional Commissioner, Office of the Commissioner of Customs, Central Excise and Service Tax, 48, Administrative Are, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal on or before 30.11.2015 (Forenoon) along with all original certificates.

20. यदि वह अपर आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवाकर, 48 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल. को निर्धारित तिथि पर/तक रिपोर्ट नहीं करता तो यह नियुक्ति आदेश, उन्हें कोई भी सूचना दिये बिना, निरस्त समझा जाएगा ।

If he fails to report to Additional Commissioner, Central Excise Commissionerate 48, Administrative Are, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal on or before the stipulated date, this Appointment Order will be treated as cancelled without any further reference to him.

21. यह आदेश मुख्य आयुक्त, भोपाल की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।  
This issues with the approval of the Chief Commissioner, Bhopal.

62/11/-

(आर.एस. माहेश्वरी R.S. Maheshwari)  
अपर आयुक्त Additional Commissioner

To,  
Shri Nishant Rana,  
Village & Post Daha  
Police Station Doghat  
District Baghat  
Uttar Pradesh Pin-250 622

Copy submitted to:-

1. The Principal Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax, Bhopal.
2. The Pay & Account Officer, Customs, Central Excise & Service Tax, Bhopal.
3. The Administrative Officer, Customs, Central Excise & Service Tax, Hqrs., Bhopal.
4. Personal file of Shri Nishant Rana.
5. Guard file.
- ✓ 6. Dossier file.

*R.S. Maheshwari*  
5.11.15  
Additional Commissioner